Benches, we refer the matter to the Supreme Court and if they accept, we will accept. But in this case, the matter was referred to the Supreme Court a number of times but they have not accepted having a bench anywhere else except Delhi. So, that question doesn't arise.

The other thing is about the strength of Judges in Andhra Pradesh. Perhaps, the Member is not aware of the latest position. I know there was shortage of Judges in Andhra Pradesh. It was only 26. Recently, I passed an order increasing the strength to 36.

Rehabilitation of Textile Workers in Madhya Pradesh

*164. SHRI SURESH PACHOURI Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that under the Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme, textile workers were given rehabilitation assistance by Government;

(b) if so, what are the details thereof upto the period ending 31st December, 1991;

(c) what is the number of textile workers from the State of Madhya Pradesh who were paid cash assistance under the scheme during the said period; and

(d) what other welfare schemes have been launched by Government for textile workers in the country, particularly, in Madhya Pradesh?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) As on 31-12-91, the details of disbursement under Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme are as under:

State	No. of Workers paid (in Rs.)	Amount paid (in Rs.)
Gujarat	12,546	29,89,62,459
Tamil Nadu	1,786	2,31,45,116
Delhi	4,816	8,18,99,781
Maharashtra	1,201	1,86,71,900
	20,349	36,26,79,256

(c) and (d) Since none of the Textile Mills of Madhya Pradesh is covered under Textile Workers Rehabilitation Fund Scheme, no payment has been made. At present, there are no other welfare schemes.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, टैक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम के अंतर्गत जो राशि मिल वर्कर्स को वितरित की गयी, उसका ब्यौरा केवल 4 प्रदेशों का दिया गया है । अन्य राज्यों की क्या स्थिति है, पूरे देश में कितने टैक्सटाइल वर्कर्स हैं और कितनी राशि उन्हें अभी तक प्रदान की गयी है, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है । साथ ही इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की किसी भी वस्त्र मिल को शामिल नहीं किया गया है । मध्य प्रदेश की किसी भी वस्त्र मिल को शामिल न करने के पीछे क्या कारण है ? इस योजना के अंतर्गत मिलों को शामिल करने का सरकार ने क्या मापदण्ड निर्धारित किया है और क्या भविष्य में उन नार्म्स को सरकार शिथिल करने जा रही है ताकि मध्यप्रदेश की मिलें भी इस योजना में लाभ उठा सकें और उस योजना के अंतर्गत जो राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है, वह राशि मध्यप्रदेश के मिल वर्कर्स को भी उपलब्ध हो सके, इस संबंध में सरकार का क्या मंतव्य है । साथ ही जो राशि इस स्कीम के तहत वितरित की जा रही है, वह राशि धीमी गति से वितरित की जा रही है, यदि मंत्रीजी का उत्तर "हां" में है तो धीमी गति से राशि वितरित करने के क्या कारण हैं ?

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि 4 स्टेट्स को इस में कवर किया गया है, यह सही है क्योंकि 4 स्टेट्स की जो मिलें बंद हुई हैं, वही इस टैक्सटाइल वर्कर्स रिहैबिलिटेशन फंड स्कीम के अंतर्गत आती हैं । इसमें जो क्रायटेरिया बना रखा है या जो एलेजिबिलिटी है वह शर्तें पूरी नहीं करती, इसलिए 4 प्रदेशों में यह सिस्टम लागू है जिसमें गुजरात में करीब 17 मिलें हैं और उसमें 35,561 मजदूरों को एलीजिबल माना गया है जिसमें से 12,546 मजदूरों को पेमेंट हुआ है । तमिलनाडु में दो मिलें हैं जिनमें 2463 मजदूरों को एलीजिबल माना गया है और 1786 मजदूरों को पेमेंट हुआ है । महाराष्ट्र में 2 मिलें हैं जिनमें 1364 मजदूरों को एलीजिबल माना गया है और 1201 मजदूरों को पेमेंट हुआ है और दिल्ली में एक मिल है जिसमें 4816 मजदूरों को एलीजिबल माना गया है और इतने ही लोगों को पार्शल पेमेंट हुआ है । इसमें जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, कि टोटल एलीजिबल वर्कर्स 44,204 हैं और जिनको पेमेंट शुरु हुआ है, उनकी संख्या 20,349 है । और पूरा एमाउण्ट जो हुआ है, 3626.78 लाख रुपए है । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि एलिजिबिलिटि का जो क्राइटेरिया है वह मध्यप्रदेश में लागू नहीं हुआ है क्योंकि मध्यप्रदेश की पांचों मिलें बंद पड़ी हैं और पांचों मिलें इस स्कीम के अंतर्गत आ नहीं पाई क्योंकि वे शर्तें पूरी नहीं कर पाई ।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, मंत्री जी ने केवल चार राज्यों का विवरण प्रस्तुत किया है कि कितने एलिजिबिल थे और जितने एलिजिबिल थे, उनमें से भी सारे एलिजिबिल वर्कर्स को भुगतान नहीं मिल पाया है । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पूरे देश में कितने मजदूरों की इस भुगतान राशि के लिए पात्रता थी ? कितने मजदूरों को भुगतान मिला ? सारे मजदूरों को भुगतान राशि न मिलने के पीछे क्या कारण हैं ? साथ ही, दूसरा, मध्यप्रदेश की मिलों को यदि इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा रहा है तो क्या सरकार के पास अन्य कोई वेलफेयर स्कीम है, जिन वेलफेयर स्कीम के तहत मध्यप्रदेश की मिलों को इसमें शामिल किया जा सके ताकि मध्यप्रदेश के मिल-मजदूर उससे लाभान्वित हो सकें ? यदि उत्तर "हां" में है तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि उत्तर "न" में है तो उसके कारण क्या हैं अन्य वेलफेयर स्कीम को प्रारम्भ न करने के बारे में ?

श्री अशोक गहलोत : सभापति महोदय, मैं कह चुका हूं कि मध्यप्रदेश की पांचों मिलें बंद थीं । इसमें तीन शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों के आधार पर मिलें इसमें आ सकती हैं । पहली शर्त है, कोई भी जो

क्लोज बिल हो वह इंडस्ट्रीज डवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो 1951 का है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए क्लोज हो तब, या फिर टैक्सटाइल कमीशन के पास, कोई अगर मीडियम स्केल का यूनिट है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है । दूसरी शर्त है कि जब मिल बाइंडअप होने लगे तो स्टेट गवर्नमेंट उसकी परमीशन दे क्लोज करने की, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में है, उसमें उसका क्लोज होना जरूरी है या फिर हाई कोर्ट से आफिसियल लीक्विडेटर बैठे तब जाकर के वह एलिजिबिल होगी । और तीसरी शर्त है कि जबसे यह स्कीम बनी है, 6 जून, 1985 से, आई थी, जब नई टक्सटाइल पालिसी आई थी माननीय राजीवगांधी जी के वक्त में, उस वक्त को यह योजना लागू हुई । इन तीनों शर्तों मध्य प्रदेश की पांचों मिलें लागू नहीं कर रही हैं इसलिए इस केटेगिरि में आ नहीं पाई और न कोई दूसरी स्कीम है, जिसके अंतर्गत हम लोग इनको राहत दे सकें ।

. . . (व्यवधान) . . . माननीय सदस्य चाहेंगे तो मध्यप्रदेश की इन पांचों मिलों की डिटेल दे दूंगा ।

श्री सभापति : यह पूछ रहे हैं कि कोई नई स्कीम बनाने का इरादा है क्या आपका ?

श्री सुरेश पचौरी : ताकि मध्य प्रदेश की मिल भी शामिल हो जाएं ?

श्री अशोक गहलोत : सभापति जी, यह स्कीम अपने आप में पूर्ण स्कीम है और स्कीम इस प्रकार है, जिससे कोई भी मिल जो बन्द हो जाए तो उस स्थिति में मजदूरों को सस्टेन करने के लिए अन्तरिम राहत देने के लिए बनी है । मैं समझता हूं, इस स्कीम के अंतर्गत जो भी मिलें आती हैं उनको पूरा बैनिफिट मिल सकता है ।

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, as per my own information in Maharashtra about 70,000 workers have been thrown out because of the closure of the mill, but as per the information given by the Minister only 1,200 have been paid. I would like to know from the hon. Minister whether he would adopt a policy by permitting the sick units to sell off their assets and utilising the proceeds for the rehabilitation of the workers. It should be the liability of the owners or whoever they are to pay the workers so that the liability would not fall upon the Central Exchequer. I would also like to know whether the Minister will consider these suggestions whereby the problem of sick textile mills is once and for all solved through some other criterion rather than spending the Government money.

श्री अशोक गहलोत : सभापति जी, यह माननीय सदय का अच्छा सुझाव है । पर हमने इस पर कई बार गौर किया है । इसमें कई तरह की डिफिकल्टीज आती हैं । उसमें मजदूर लोग भी नहीं चाहते कि कोई उनकी मिल की प्रोपर्टी को सेल कर सकता है । मैं समझता हूं, इनके सुझाव पर हम वापस दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं ।

SHRIMATI MIRA DAS: Mr. Chairman, Sir, production of textiles, mainly through handlooms, is one of the most important sources of employment generation in the rural sector. So far no national textile policy has been declared by the Government. So, I would like to know from the Minister whether he is considering the Abid Hussein Committee's recommendations for the welfare of the textile workers or not.

श्री अशोक गहलोत : सभापति जी, अभी वह जो आबिद हुसैन कमेटी की रेक मेंडेशंस हैं वह गवर्नमेंट के अंडर-कंसिडरेशन है वह जब मान लिया जाएगा तब उस पर विचार करेंगे ।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairma, Sir, I have calculated the amount. I think, this is a one-time payment. If it is so an average worker will get only Rs. 18,000 to Rs. 20,000 He is losing his job and the amount given is not even one year's salary. Now, the National Renewal Fund is

coming. I would like to know from the hon. Minister whether it will be on this pattern. Will the Minister be pleased to tell us on what basis this amount is calculated? If it is less, what will the Government do on this issue? It comes to only R. 18,000 per worker.

श्री अशोक गहलोत : सर, ऐसी बात नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य को आशंका है इसमें जो कैलकुलेशन होता वह जो मजदूर जब मिल क्लोज्ड हो जाती है तीन साल के लिए स्कीम बनी है । तीन साल में उसको, पहले वर्ष में 75 परसेंट उसकी सेलरी जो है उसका दिया जाता है, दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 25 हप्रतिशत दिया जाता है । यह जो फिगर्ज दिए गए हैं यह एक प्रकार से इन्स्टालमेंटवाइज, किसी मिल में दो इस्टालमेंट मिल गई, किसी में एक मिला होगा और तीन-तीन महीने में इन्स्टालमेंट दी जाती है । इसलिए माननीय सदस्य की जो आशंका है वह निर्मूल है । मैं समझता हूं कि इसमें उसी कैलकुलेशन पर चलते रहते हैं वरना जो मजदूर यूनियन है वह खुद ही हम से बात करती रहती है । इसलिए ऐसी यदि कोई शिकायत है तो हम दूर कर सकते हैं ।

SHRI T. R. BALU: Mr. Chairman, Sir, because of the non-receipt of the rehabilitation fund by the workers, the workers are suffering. So, what are the steps taken by the Government to expedite the disbursement of th rehabilitation fund?

श्री अशोक गहलोत : माननीय सभापति महोदय, पहले कुछ ऐसी शर्तें लगाई हुई थीं जिसके कारण डिस्बर्समेंट में डिले हुआ । यह शर्तें हमने अब दूर कर ली हैं । उसके बाद मैं समझता हूं कि तीन शर्तें इस प्रकार से थी जिसके अन्तर्गत यह शर्तें लगा दी गई थी पिछली सरकार के वक्त में, अगर किसी मजदूर को पेमेंट होने के बाद में, अगर वापस वह नौकरी में लगता है तो उसको वह पेमेंट वहां पर वापस गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा । अगर वह मजदूर नहीं चुकाता है तो स्टेट गवर्नमेंट यह गारंटी ले कि वह उससे रिकवर कर उसके एप्लायर से और सैन्ट्रल गवर्नमेंट को चुकाए । दो शर्तें तो ये थीं और तीसरी शर्त जो लाइसेंस था क्लोज्ड मिल का उसका सरंडर करने की थी । उसके अलावा जो 26 डेज़ का एवरेज निकालने की शर्तें लगा रखी थी... (**व्यवधान**)

SHRI T. R. BALU: Mr. Chairman, Sir, I want to know what the steps are that the Government has taken to expedite it.

श्री अशोक गहलोत : यही थे कह रहा । ... (**व्यवधान**) ये सारा कंडीशंस लगी हुई थीं ।

MR. CHAIRMAN: These are the difficulties he is trying to remove.

श्री अशोक गहलोत : पिछली सरकार के वक्त में ये कंडीशंस कुछ लगा दी गई थीं वह सोच करके कि इसका मिसयूज नहीं होगा । पर जब हमने देखा कि इससे डिफिकलटी पैदा हो रही है तो अभी दो महीने पहले ही वह सब शर्तें ही हटा दी गई हैं । अब मैं समझता हूं कि कोई दिक्कत नहीं आ रही है ।

Review of India's Nuclear Policy

*165. SHRI BEKAL UTSAHI:†
DR. SANJAYA SINH:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the American Senator Larry Pressler during his 11 day official visit to South Asia also visited New Delhi in the second week of January, 1992;

(b) whether during the visit Mr. Pressler pointed to the danger of seven to nine Islamic, "fundamen-

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Bekal Utsahi.